

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, भोपाल

क्रमांक/स्था./2024/ 12436

भोपाल, दिनांक - 12-12-24

विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) की भर्ती हेतु
“वॉक-इन-इन्टरव्यू” के माध्यम से जी.आई.एस. विशेषज्ञ के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु
विज्ञापन

// विज्ञापन //

सहायक संचालक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था. 2/2024/1696 दिनांक 09.09.2024 एवं दिव्यांगजनों हेतु दिनांक 13 सितम्बर 2024 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक/ए। 1/5/5/0001/2024-1-10 दिनांक 10 सितम्बर 2024 के अनुपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, भोपाल हेतु दिव्यांगजन (निःशक्तजन) हेतु चिन्हांकित रिक्त पद की “वॉक-इन-इन्टरव्यू” के माध्यम से भर्ती अभियान के तहत संविदा पर तृतीय श्रेणी जी0आई0एस0 विशेषज्ञ के पद पर निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन (निःशक्तजन) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यताएं एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

श्रेणी	पदनाम	संविदा नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद	वेतनमान	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग	रिमार्क
				दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर, डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, (सरेबल पाल्सी, कुष्ठ, रोग मुक्त, बोनापन, एसिटअटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्रफी (1.5%)	आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	4	5	6	7			8	9
तृतीयश्रेणी	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	01	28700 - 91300	-	01	-	-	01	संविदा

शैक्षणिक योग्यता :-

1	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	आवश्यक योग्यता :- (क) भौगोलिक सूचना विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान/भूगोल में या समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर एवं जीआईएस में पीजी डिप्लोमा। वांछनीय योग्यता :- (क) आर्क जीआईएस (ArcGIS), क्यू-जीआईएस (Q-GIS) और अन्य ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर का ज्ञान। (ख) एसक्यूएल (SQL) एवं और बुनियादी रिलेशनल डेटाबेस का ज्ञान। (ग) जीआईएस और स्थानिक डेटाबेस बनाने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने का अनुभव। (घ) तकनीकी आवश्यकता (Technical Requirement) को समझने और निचले स्तर की अवधारणाओं (concepts) को सरल भाषा में संप्रेषित करने की क्षमता।
---	--------------------	--

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें:-

- 1- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30/12/2024 होगी। आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले भोपाल पिन - 462003 में प्राप्त किये जावेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

- 2- आवेदक की आयु-सीमा दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- 3- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 5- आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6- म0प्र0 शासन के नियम अनुसार जिनकी दो से अधिक जीवित संतान है, तथा उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 के पश्चात हुआ हो तो ये आवेदन करने की पात्र नहीं होंगे।
- 7- विज्ञापन में दर्शाये गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। अन्य प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन की शर्तें पूर्ण न करने अथवा अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 8- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां सत्यापित कर लगाना अनिवार्य होगा।
- 9- चयनित उम्मीदवार का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अनुकूल नहीं पाये जाने पर नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।
- 10- आवेदक को उनके चयन की सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर डाक द्वारा दी जावेगी।
- 11- आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार चयन हेतु गठित समिति का होगा। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का ही मान्य होगा।
- 12- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता को नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13- आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्ण सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर से निरस्त किया जा सकेगा।
- 14- बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल के पास रहेगा। चयन नियुक्ति में चयन समिति वनमण्डलाधिकारी, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- 15- आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति, मूल निवासी, जन्मतिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछा वर्ग/दिव्यांग आदि) से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंकसूची/अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति (स्वयं के द्वारा प्रमाणित संलग्न की जावे)।
- 16- केवल यूडीआईडी पोर्टल से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (डिजिटल प्रमाण-पत्र) ही मान्य किया जावेगा।
- 17- मेरिट के आधार पर वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिए आमंत्रित किया जावेगा।
- 18- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.6 अनुसार शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जाँच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से मेडीकल अनिवार्य है।
- 19- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2.7 अनुसार मूक बाधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य है।

20- अन्य शर्तें :-

1. नियम 4 के अंतर्गत आचरण संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोजनकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत यदि संविदा विशेषज्ञ शर्तों के उल्लंघन के लिये दोषी पाये जाने पर स्वयं स्पष्ट आदेश जारी कर तथा 1 माह का वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
 2. संविदा जी0आई0एस0 विशेषज्ञ उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियोजित कोई विशेषज्ञ किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसका संविदा नियोजन उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त माना जायेगा।
 3. संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत संविदा जी0आई0एस0 विशेषज्ञ पुनः नियोजन के लिये पात्र होंगे। पुनः नियोजन की पात्रता का निर्धारण विगत दो वर्षों के कार्य का समग्र मूल्यांकन होगा। इसके लिये संविदा अवधि के समाप्त होने के दो माह पूर्व आवेदन करना होगा। विभाग द्वारा पुनः नियोजन के लिये आवेदन मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय नियम 2.111 में वर्णित समिति द्वारा लिया जायेगा।
 4. संविदा पर नियोजन के लिये अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी।
 5. संविदा पर नियोजित संविदा जी0आई0एस0 विशेषज्ञ को 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संविदा नियोजनकर्ता के साथ करारनामा **परिशिष्ट-1** अनुसार निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- 21- उक्त भर्तियों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी (आवेदन-पत्र के फॉर्मेट सहित) विभागीय वेबसाइट mpforest.gov.in पर उपलब्ध हैं, अतः उक्त वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, भोपाल